रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/52/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**3. कार्यक्षेत्र**

(i) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए परामर्शियों की नियुक्ति की जा सकेगी, अर्थात् :

(क) सुसंगत तथा आयोग के हित में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देने;

(ख) बेहतर पद्धतियों का अध्ययन करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, बैंचमार्क विकसित करने या उसी प्रकार के किसी अन्य प्रयोजन के लिए;

(ग) ऐसे अनुभव तथा अर्हताओं की अपेक्षा वाले कार्यों को करने, जो या तो आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं या आयोग की राय में, परामर्शी की नियुक्ति करने से क्वालिटी, समय पर तथा किसी अन्य विचार से कार्य को पूरा करने में अधिक प्रभावत्पकता तथा दक्षता आएगी; और

(घ) आयोग की उसके कृत्यों को पूरा करने में सहायता करना, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि आयोग में कार्य की मात्रा में वृद्धि हो गई है या नियमित पदों को विभिन्न अवरोधों के कारण नहीं भरा जा सकेगा ।"

3. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (ग) के पश्चात्, एक नया खंड (घ) जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(घ) कर्मचारिवृंद परामर्शी"

4. नया विनियम 8क का अंत:स्थापन.—मूल विनियम के विनियम 8 के पश्चात् एक नया विनियम 8क जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**8क. कर्मचारिवृंद परामर्शी :**

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है या नियमित पदों को भरने में कठिनाई हो रही है, आयोग की उसके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सहायता करने के लिए, कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए कर्मचारिवृंद परामर्शी की नियुक्ति कर सकेगा तथा सचिवालय को और उपाय करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) सचिवालय आयोग की वेबसाइट में सूचना प्रकाशित करते हुए तथा यथासाध्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(3) सूचना प्रकाशित करने से पूर्व, सचिवालय नियमित पदों के प्रति भर्ती को शासित करने वाले आयोग के विनियमों के सुसंगत विनियमों को ध्यान में रखते हुए, अर्हता तथा अनुभव अपेक्षाओं की पहचान करेगा ।

(4) कर्मचारिवृंद परामर्शी को अर्हता तथा अनुभव के आधार पर प्रवर्गीकृत किया जा सकेगा तथा प्रति मास साठ हजार रुपये (नए अभ्यर्थियों के लिए) से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिमास (15 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के लिए) तक की समेकित फीस की रेंज का प्रस्ताव किया जा सकेगा । इस खंड में उपदर्शित फीस को प्रत्येक वर्ष के अंत में 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा । सुपात्र मामलों में, अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकेगा जो उपरोक्त उपदर्शित फीस के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(5) अध्यक्ष सीईसी का गठन कर सकेगा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा वह अधिकारी होगा जिसके पास उस कार्य-क्षेत्र का ज्ञान होगा जिसके लिए परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त की जानी हैं । उन मामलों में, जहां नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मचारिवृंद परामर्शी खंड के प्रमुख के पद के समतुल्य है वहां सीईसी की अध्यक्षता आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी । सीईसी अभ्यर्थियों के साथ विचार-विमर्श करेगा तथा कर्मचारिवृंद परामर्शियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों तथा संदत्त की जाने वाली फीस की सिफारिश करेगा ।

(6) कर्मचारिवृंद परामर्शी को सामान्यत: दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा । कर्मचारिवृंद परामर्शी को दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष में प्रस्तावित फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी ।

5. नया विनियम 9क का अंत:स्थापन : मूल विनियम के विनियम 9 के पश्चात् नया विनियम 9क जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"9क. शिथिल करने की शक्ति :

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किन्ही भी उपबंधों को शिथिल कर सकेगा ।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. 160, भाग III, खंड 4, में तारीख 14 अक्तूबर, 2008 को प्रकाशित किए गए थे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

No. L-1/52/2010-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read with section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008, (hereinafter referred to as "the principal regulations"), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 3 of principal regulations .— Regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as under :—

"3. Scope of Work

(1) Consultants may be engaged for the following purposes, namely,—

(a) providing expert advice on specific issues of relevance and interest to the Commission;

(b) conducting study of best practices, analyzing data, developing bench marks, or for any other similar purpose; and

(c) performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration;

(d) assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints."

3. Amendment of Regulation 5 of principal regulations.—A new clause (d) shall be added after clause (c) of Regulation 5 of the principal regulations as under :—

"(d) Staff consultants"

4. Insertion of a new Regulation 8A .— After Regulation 8 of the principal regulations, a new regulation 8A shall be added as under :

"8A. Staff Consultant :

(1) The Commission, on being satisfied that there has been an increase in the quantum of work of the Commission, or difficulties arising in filling regular posts, may decide to engage a Staff Consultant in expediencies of work, to assist the Commission in discharge of their functions effectively and direct the Secretariat to take further steps.

(2) The Secretariat shall invite applications by publishing notice in the Commission's website and by giving, as far as possible, a period of two weeks for making applications by interested persons.

(3) Before publishing the notice, the Secretariat shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission's Regulations governing the recruitment against regular posts.

(4) The Staff Consultant may be categorized based on the qualification and length of experience and offered consolidated fee ranging from rupees sixty thousand per month (for a fresh candidate) to rupees one lakh twenty thousand per month (for a candidate having 15 years or more experience). The fees indicated in this clause shall stand revised at the end of every year with an escalation of 10%. In deserving cases additional remuneration not exceeding 25% of the fees indicated above may be granted.

(5) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Internal Financial Advisor, and an officer having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained. In cases where the Staff Consultant proposed to be engaged is equivalent to the post of Chief of a Wing, the CEC shall be headed by a Member of the Commission. The CEC shall interact with the candidates and, recommend names of suitable persons for engagement as Staff Consultants and the fee to be paid for approval of the Chairperson.

(6) The Staff Consultant shall normally not be engaged for a period more than two years. An annual escalation of 10% on the fee offered in the first year may be given for the second year to the Staff Consultant."

5. Insertion of a new Regulation 9A.— After Regulation 9 of the principal regulations, a new regulation 9A shall be added as under :

"9A. Power to relax :

The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations."

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/10/Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 160, Part III, Section 4 on 14th October, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.